न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 24 / 2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
राजेश कुमार पुत्र भूबाराम जाति पुरोहित निवासी फूंगणी तहसील सिरोही		1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सिरोही 2 उपखण्ड अधिकारी सिरोही जिला सिरोही 3 ग्राम पंचायत फूंगणी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फूंगणी तहसील सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 4-6-18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक / राजस्व / 2012 / 1201 दिनांक 09.11.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम फूंगणी के खसरा नम्बर 425 रकबा 3.08 हैक्टेयर की भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किए जाने से पूर्व अपीलाण्ट एवं अन्य ग्रामवासियों को सुनवाई का किसी प्रकार से अवसर नहीं दिया तथा मात्र सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। जैर अपील वादस्थ भूमि पर कईं व्यक्तियों के अतिक्रमण थे, जिन्हे हटाया भी नहीं गया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए उक्त भूमि को नीलाम करने हेतु इश्तिहार जारी किया, तब अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई। उक्त भूमि पर पूर्व से ही कईं लोगों के मकानात निर्मित है तथा मौके पर आबादी बसी हुई है। अब ग्राम पंचायत अपने लोगों को अनुचित लाभ प्रदान करने की नियत से जैर अपील वादस्थ भूमि के पट्टे जारी करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किए जाने के कारण भी जैर अपील आदेश अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आबादी विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर मौके अनुसार जांच कर विधिवत कार्यवाही करते हुए आवंटित की है। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में राईंगाराम के नाम से स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो खारिज हो चुका है। उसके पश्चात हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार जैर अपील आदेश आरम्भ से ही अपीलाण्ट के संज्ञान में है तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा मात्र पंचायत के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त भूमि आबादी दर्ज होने के पश्चात पंचायत द्वारा नियमानुसार नक्शा प्लान तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया है तथा उसके आधार पर ही भूखण्डों का निस्तारण किया जा रहा है। अब जहां तक उक्त भूमि पर तथाकथित अतिक्रमण का प्रश्न है, उक्त भूमि आबादी होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु पंचायत सक्षम है तथा पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सरपंच ग्राम पंचायत फुंगणी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फुंगणी के खसरा नम्बर 425 रकबा 3.08 हैक्टेयर की भूमि को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटन कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि जैर अपील आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 20.10.2014 को ही रही हो। इस सम्बन्ध में आर0एल0डब्ल्यु 1951 पेज 303 नौरतनमल बनाम हरिसिंह में प्रतिपादित किया कि "Limitation Act. S. 5-- Delay in filing appeal--Each day's delay after due date must be satisfactorily explained. It is the duty of an applicant, praying for indulgence under s 5 to explain each day's delay satisfactorily and if he fail to do so he cannot get the benefit of s. 5" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds-- Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 939 डी0 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा –विलम्ब का उपशमन– अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब– उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नही कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नही दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नही है व अपास्त किया।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 18

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सत्तार खान व अन्य बनाम ब्रजलाल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 – विलम्ब का माफ करना – राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करने में 23 वर्ष का अप्रत्याशित विलम्ब – रेस्पोडेन्ट 'बी' पंचायत का प्रधान था और आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य था – आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उसने आपत्ति नही उठायी – आवेदन में बताये कारण न्यायसंगत नही कहे जा सकते – निर्णीत परिसीमा के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य थी।" इसी प्रकार के तथ्य आर0आर0डी0 1984 पेज 261 अमराराम बनाम बृजलाल में भी प्रतिपादित किये गये है। हस्तगत प्रकरण पर उपरोक्त न्याय सिद्धान्त पूर्ण रूप से चस्पा होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण हस्तगत अपील परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नही है। इसके अतिरिक्त यदि गुणावगुण पर भी देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत सारहीन होने से खारिज किया जाता है। जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2012/1201 दिनांक 09.11.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही